फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

केसर बनाम काशीराम आदि

किस्म मुकदमाः—212 आरटीए 1955 प्रकरण संख्याः—116/2024 GCMS No. 2024/277

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2025	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी नं0 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के चक 3 टीटीडी ए खाता नं0 24 प0न0 150/23 (47) कि0न0 7 ता 9/0.759 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 17 ता 20/1.012 है0, 21/2/0.228 है0, 22/2/0.228 है0, 23/2/0.228 है0, 24/2/0.228 है0 कुल 3.695 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि हैं। जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 की सत्यप्रतिलिपि शामिल पत्रावली हैं। जैरवाद रकबा में प्रार्थी के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.739 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं0 1 के नाम 253/739 हिस्सा यानि 1.265 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं0 2 के नाम 106/3695 हिस्सा यानि 0.106 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं0 3 के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.739 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं0 4 के नाम 1/5 हिस्सा यानि 0.739 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि, अप्रार्थी नं0 5 के नाम 107/3695 हिस्सा यानि 0.106 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 के अवलोकन से साबित हैं। जैरवाद रकबा पूर्व में प्रार्थी के पति व अप्रार्थी नं0 2 ता 5 के पिता स्व0 श्री सोहनलाल के नाम से था। स्व0 श्री सोहनलाल का देहान्त निर्वसीयत अवस्था में होने के कारण जैरवाद रकबा प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 ता 5 के नाम ब0हि0ब0 बतौर जायज वारिस विरासतन दर्ज हुआ। अप्रार्थी नं0 2 व 5 द्वारा स्वयं को प्राप्त विरासतन रकबा में से ब0हि0ब0 1.265 है0 रकबा वर्ष 2022 में अप्रार्थी नं0 1 को बैचान कर दिया। जिसका नामान्तरण सं0 622 अप्रार्थी नं0 1 के नाम से दर्ज हो चुका हैं। जो कि संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से साबित हैं। जैरवाद रकबा अच्छी व खराब तथा समतल व उबड़ खाबड़ एवं उपजाउ व अनउपजाउ दोनो किस्म का है तथा जैरवाद रकबा जिप्सम भंडारण क्षेत्र में स्थित हैं। जिस कारण से जैरवाद रकबा में जिप्सम की काफी मात्रा हैं। जिस कारण से काफी किमती भूमि हैं। जैरवाद रकबा छोटे टूकड़े में स्थित हैंएवं मौके पर अविभाजित हैं। जिस कारण से प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 5 छोटे—छोटे टूकड़ो के काश्तकार हैं। इसलिये अप्रार्थी नं0 1 ता 5 छोटे—छोटे टूकड़ो को न रखकर खाता विभाजन से पूर्व जैरवाद रकबा में अपने—2 हिस्सा को अजनबी केता को बैचान करने पर उतारू हैं। प्रार्थी एक खेती करने वाली महिला हैं। जो कि अपने पति के देहान्त पश्चात् मिली भूमि पर काश्त कर अपना गुजारा बसर कर रही हैं। जबकि अप्रार्थी नं0 1 राजनैतिक सांठगांठ वाला व्यक्ति हैं। अप्रार्थी नं0 2 ता 5 उसके दबाव में हैं। यदि अप्रार्थी नं0 1 अपनी धमकी अनुसार कुयोजना में कामयाब होकर खाता विभाजन से पूर्व जैरवाद रकबा में अवैध जिप्सम खाता विभाजन से पूर्व निकाल लेता हैं या किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बैचान कर अथवा ठेका पर देकर जिप्सम निकालता हैं तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली कानूनी कार्यवाही में प्रार्थी पर भी प्रभाव पड़ेगा तथा जैरवाद रकबा का खुर्द बुर्द होने की पूरी सम्भावना बनी रहेगी। भूमि की उर्वरा शक्ति सम्पूर्ण नष्ट हो जायेगी। प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अच्छी भूमि खाता विभाजन में प्राप्त करने से वंचित हो जायेगी। व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढेगी। जबकि प्रार्थी एक खातेदार हैं इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के हक में साबित हैं। कानूनन प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ भूमि को खुर्दबुर्द से बचाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक पाने की हकदार हैं। बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। रकबा अभी संयुक्त खाता में हैं। वाद पत्र न्यायालय के समक्ष खाता विभाजन हेतु विचाराधीन हैं। खाता विभाजन से पूर्व सम्पति की सुरक्षा करना न्यायालय का दायित्व हैं। अतः अप्रार्थीगण के बाद सूचना अनुपस्थित हने एवं कोई विपरीत [illegible] होने के कारण न्याय हित में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना [illegible] हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 [illegible] एंव आदेश दिया जाता हैं कि ता वाद फैसला अप्रार्थीगण [illegible] 3 टीटीडी ए खाता नं0 24 प0न0 150/23 (47) कि0न0 7 ता 9/0.759 [illegible] 11 ता 14/1.012 है0, 17 ता 20/1.012 है0, 21/2/0.228 है0, 22/2/0.228 [illegible] 23/2/0.228 है0, 24/2/0.228 है0 कुल 3.695 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि का मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावाली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर फरमाई जावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:26 IST
Reason: SelfAttested